रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276373
CG-DL-E-21092026-276373

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 756] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948
No. 756] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 826(अ).— केन्द्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (थ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) चौथा संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011, के नियम 6 में,—

(i) उप-नियम (4क) के, खंड (ग), के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा :—

"(घ) साबुन, शैम्पू, दंत मंजन, अन्य शृंगार एवं प्रसाधन सामग्रियों के मामले मे, उसके प्रधान संप्रदर्शन पैनल के सबसे ऊपर मांसाहारी उद्भव के उत्पादों के लिए यथास्थिति लाल या भूरी बिंदी और शाकाहारी उद्भव के उत्पादों के लिए हरी बिंदी होगी।";

(ii) उप-नियम (8) का लोप किया जायेगा ।

[फा. सं. I-7/7/2015- डब्ल्यू एंड एम]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 202 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 418 (अ), दिनांक 29 मई, 2026 द्वारा संशोधित हुए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2026

G.S.R. 826(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) Fourth Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, in rule 6,—

(i) in sub-rule (4A), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) in the case of soap, shampoo, tooth paste, other cosmetics and toiletries, a red or, as the case may be, a brown dot for products of non-vegetarian origin and a green dot for products of vegetarian origin, at the top of the principal display panel.";

(ii) sub-rule (8) shall be omitted.

[F. No. I-7/7/2015-W&M]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 202 (E), dated the 7th March, 2011 and was last amended *vide* number G.S.R. 418(E), dated 29th May, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA